

संख्या: 14/18/223
तिथि: 30/01/2024
पावती समय: 04:24 PM

अतारांकित प्रश्न

विषय :- एचएसआईआईडीसी HSIIDC द्वारा औद्योगिक भूखंडों के हस्तांतरण
मंत्री:- श्री. दुष्यंत चौटाला
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री नीरज शर्मा(86), सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
अतारांकित प्रश्न
उद्योग और वाणिज्य मंत्री कृपया बताएं कि :

- कृपया HSIIDC द्वारा आवंटी के निधन पर औद्योगिक भूखंडों को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, इसके नियमों/कानून/परिपत्र/निर्देशों की प्रति प्रदान करें।
- कृपया 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक भूखंडों के हस्तांतरण (स्थानांतरण के आवेदन की तारीख और स्थानांतरण अनुमति जारी करने की तारीख सहित) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
- कृपया मालिकों के निधन पर औद्योगिक भूखंडों को स्थानांतरित करने के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करें, जिसमें मृत मालिक ने औद्योगिक भूखंड को स्थानांतरित करने की वसीयत (पंजीकृत और अन्यथा) की हो।
- क्या एचयूएफ का कर्ता देश के कानून के अनुसार एचयूएफ के सभी सदस्यों को शामिल किए बिना एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित आईएमटी में औद्योगिक प्लॉट किसी को हस्तांतरित कर सकता है।
- कृपया मालिक के निधन की स्थिति में आईएमटी में एक एकड़ (4000 मीटर) औद्योगिक प्लॉट को स्थानांतरित करने के लिए एचएसआईआईडीसी की शुल्क संरचना प्रदान करें।

भवदीय
श्री नीरज शर्मा(86)
सदस्य
30/01/2024 04:24 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE